मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल)

1. उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगता प्रक्षेत्र की सभी योजनाओं को दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ शीघ्र लाभ उपलब्ध कराना है| दिव्यांगजनों के प्रति जा्गरूकता बढाना, उन्हें भौतिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए उनके अधिकार सुनिश्चित करना है।

2. निधि का संवितरण

सम्बल के संचालन के लिए शत प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है| इसी प्रकार राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में राज्य की सहभागिता हेतु राज्यांश एवं लाभुकों को आवश्यक पूरक अनुदान राशि इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है|

3. देय राशि

इस योजना अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु 2.00 लाख रू0 तक का ऋण देय होगा| परन्तु विशेष विद्यालय में शिक्षण हेतु छात्रवृति देय होगी जिसका दर गैर-दिव्यांगजन को देय दर से अन्यून होगा | अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान तथा राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में राज्य अनुदान का दर योजना एवं लाभार्थी विशेष की आवश्यकताओं के अनुरूप देय होगा|

4. पात्रता

- आयु सीमा स्वरोजगार ऋण के लिए 18-60 वर्ष तथा कृत्रिम अंग एवं उपकरण के लिए 5 वर्ष से अधिक होगी|
- अतिविशिष्ट मामलों में अनुदान बहुदिव्यांगजन एवं न्यायादेश से आच्छादित सभी मामलों में देय होगा एवं इसमें आय, आयु आदि की सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा|
- विशेष विद्यालय हेतु विद्यार्थी की आयु सीमा 6-18 वर्ष होगी|
- आश्रय गृह (आशियाना/साकेत) हेतु लाभार्थी (पुरूष/महिला) की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी।

5. प्रक्रिया

विहित प्रपत्र में आवेदन कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए प्रखण्ड कार्यालय/ जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा शिक्षा ऋण, स्वरोजगार ऋण, दिव्यांग छात्रवृति के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में जमा करना होगा। इसकी स्वीकृति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा की जाती है।

6. उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रक्रिया

शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण के मामले में राशि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित निगम द्वारा लाभुक को उपलब्ध कराई जाती है। पिछड़ा वर्ग वित निगम से प्राप्त व्यय विवरणी के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जाता है।

7. अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर सहायक निदेशक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होते है तथा प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को भेजते है। विशेष परिस्थिति में निदेशालय स्तर से जॉच दल का गठन कर निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

8. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहां इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। साथ ही राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त नि:शक्तता का कार्यालय कार्यरत है जहाँ दिव्यांगजन सीधे परिवाद दायर कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।